

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 10 / 2 ई.व.थ
सेवा में,

दिनांक 3 / 04 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में काण्डा-सानीउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा-बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/10731/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/283/2015/एफ0सी0/2229
दिनांक 19.02.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तो के अनुपालन आख्या


क्र0स0	शर्त	अनुपालन का विवरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	500 वृक्षों के वृक्षारोपण की धनराशि UTR No-SBINR520051196375 dtd 24.01.2020 द्वारा रू0 11,56,880.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No-SBINR520051196375 dtd 24.01.2020 द्वारा रू0 11,56,880.00जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Received
दिनांक
30/1/23
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

4	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3 / 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।</p>	<p>एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBINR520051196375 dtd 24.01.2020 द्वारा रू० 11,56,880.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।</p>
5	<p>सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।</p>	<p>शर्त सं० 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 बागेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS
& CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH-CENTRAL
ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक 21/6/17
दिनांक 27/9/17

पत्र सं 08बी/यू0सी0पी0/06/213/2015/एफ0सी0/1058

दिनांक: 22/09/2017

सेवा में,
सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय: जनपद- बागेश्वर में काण्डा-सानीउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैंड से भदौरा-बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या -801/X-4-15/1(447)/2015 दिनांक 07.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10731/2015 एवम् अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online संग्रहीत होते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार जनपद- बागेश्वर में काण्डा-सानीउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैंड से भदौरा-बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 500 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

P.C. Attar
सहायक अभियंता
प्रांतीय खण्ड लो0पी0
बागेश्वर

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का सतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(Handwritten signature)
वन संरक्षक

(Handwritten signature)
वन संरक्षक

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

V.C No 93 Dt-24/11/2020

Bill Type : Normal

Print Date - 24-1-2020

Transaction ID - VP8900422701202007

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Bageshwar

- 1- जनपद का नाम : बागेश्वर
2- कोषागार का नाम : बागेश्वर
3- देयक की अवधि कब से कब तक
4- रिकार्ड कोड
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड
6- देयक पंजी की क्रम संख्या

1 0 3

8 9 0 0

4 5 9

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

0

वाउचर दिनांक

8- मतदेय/भारित

मतदेय

9- लेखाशीर्षक समन्धी 13 अंको का कोड

(4 मुख्य लेखाशीर्षक +
2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2
उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)

5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 2 4

10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4 2 2 7

12- अधिष्ठान का नाम

: अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी बागेश्वर

13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

14- सोर्स कोड : 1

15- सेक्टर कोड : 2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी वितरण

- मुख्य लेखाशीर्षक - (5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परियोजनाएँ
उप मुख्य लेखाशीर्षक - (04)District and other Roads
लघुशीर्षक - (337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक - (03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक - (04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

P.C. Attest
सहस्रक अभियंता
प्रांतीय खण्ड लो0मि0वि0
बागेश्वर

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
24-वृहत् निर्माण कार्य	12476099	1682433	10793666

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
24-वृहत् निर्माण कार्य	11,56,880
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	11,56,880

Executive Engineer
Prov. Division P.W.D.
Bageshwar

राज्य योजना के अन्तर्गत कृषि - सोनिडिआर - रावत रोड गोर मांग
के कोर मातल लेण्ड से प्रयोग - लोड रोड गोर मांग का निर्माण
of Account **Form No.28- HAND RECEIPT** Passed for Rs. 1156880.00
(See Chap. XIV, Para 440, 446 and 460)

Date 24/1/2020 AE

Book Vouchre No. 93

Paid by Cheque/Cash/Rupees (1156880.00) to Sri. **UTTANCHAL CAMPA**
Paid by me* in charge of P.D. P.W.D. Baramhuan

RECEIVED for the E.F. A.E. Division the sum of Rs.
Sub-Division Name of work * or purpose of which

1156880.00
Payment is made 117/22/2019-20-17/12/2019

Verified by
M.B. No. 603
Date 17/12/2019
Withses S.E. 20

(Amount in Vernacular)

1156880.00

1156880.00
24-1-2020

Signature of Payees

U.T.R. No - 520051196375

P.C. Attestal
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोड रोड
कागेश्वर

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 24-01-2020	
Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731070
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	1156880/-
Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Eighty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110731070 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 24-01-2020	
Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731070
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	1156880/-
Amount in Words :Eleven Lakh Fifty-Six Thousand Eight Hundred and Eighty Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110731070 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only This challan is valid only for seven days. 	


After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in


P.C. Attaral
B
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोडि रोड
बगेश्वर


परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैंड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

एनपीवी की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

P.C. Attest

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड लो०नि०वि०
बागेश्वर



अधिसारी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


नोट- उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।


परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

काटे जाने वाले वृक्षों के 10 गुना वृक्षों के रोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रभावित होने वाले 64 वृक्षों के बदले 10 गुना अर्थात् 640 वृक्षों के रोपण हेतु देय धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

P.C. Attaral

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 2507 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 12/1/2023
सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर में काण्डा-सानीउडियार-रावतसेरा मोटर मार्ग के कोटपातल बैण्ड से भदौरा-बाजीरोड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 हे० वनभूमि में अतिरिक्त एन०पी०वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : - सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र क्रम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन०पी०वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के क्रम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.09.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन०पी०वी०	0.84 हे०	5	0.2	1005210.00	8,44,376.00	5,51,880.00	2,92,496.00
कुल योग						8,44,376.00	5,51,880.00	2,92,496.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731731
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	292496/-

Amount in Words : Two Lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110731731 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 23-03-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110731731
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/213/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	292496/-

Amount in Words : Two Lakh Ninety-Two Thousand Four Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110731731 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

~~4230825045574~~

[Handwritten Signature]

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar



23/03/23

कांस्टा-आमिडिआ. मॉड के कोटपातल वरु से भरोडा-कलीशे को मॉड